

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी० 0.00 से किमी० 81.204 तक के 4 लेन चौड़ाकरण में प्रयुक्त हो रहे 8.2127 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे० प्रभावित आरक्षित एवं अवर्गीकृत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगार्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरंगज रेंज के अन्तर्गत भारीवैसी क०न०-4 पर 20.0 हे० चयनित किया गया है, जो प्रबन्धन की दृष्टिकोण से उपयुक्त है तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से पूर्णतः मुक्त है।

Geetanjali
(प्रमोद श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैम्पियरंगज रेंज

(विश्वनाथ यादव)
प्रमाणित वनाधिकारी
Divisional Forest Officer
Gorakhpur Forest Division
Gorakhpur

Cv
Project Director
PIUNHAI
Gorakhpur